



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042021-226437
CG-DL-E-08042021-226437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 2021/चैत्र 18, 1943

No. 147]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 2021/CHAITRA 18, 1943

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (154).— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को निरस्त न हो जायें।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 12835 (भाग 1) : 2021 स्थिर, झागदार अग्नि-शमन तंत्रों का डिज़ाइन और संस्थापन – रीति संहिता भाग 1 निम्न प्रसार झाग (पहला पुनरीक्षण)	31 मार्च 2021	आई एस 12835 (भाग 1) : 1989 स्थिर, झागदार अग्नि-शमन तंत्रों का डिज़ाइन और संस्थापन – रीति संहिता	30 अप्रैल 2021

			भाग 1 निम्न प्रसार झाग	
2	आई एस 15883 (भाग 11) : 2021 निर्माण परियोजना प्रबंधन – दिशा-निर्देश भाग 11 सततता प्रबंधन	31 मार्च 2021	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आई एस 17549 : 2021 वस्त्रादि – सूती खादी दरियाँ – विशिष्टि	31 मार्च 2021	लागू नहीं	लागू नहीं

इन मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड किया जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन III/4/असा./11/2021-22]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2021

Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(154).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No., Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 12835 (Part 1) : 2021 Design and Installation of Fixed Foam Fire Extinguishing Systems — Code of Practice Part 1 Low Expansion Foam (First Revision)	31 Mar 2021	IS 12835 (Part 1) : 1989 Design and Installation of Fixed Foam Fire Extinguishing Systems — Code of Practice Part 1 Low Expansion Foam	30 April 2021
2	IS 15883 (Part 11) : 2021 Construction Project Management — Guidelines Part 11 Sustainability Management	31 Mar 2021	NA	NA
3	IS 17549 : 2021 Textiles — Cotton Khadi Durries — Specification	31 Mar 2021	NA	NA

Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization – P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./11/2021-22]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS(155).— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 1180 (भाग 1) : 2014 बाह्य-रंग तेल इस्मेसड वितरण ट्रांसफार्मर तक 2 500 kVA, 33 Kv – विशिष्टि भाग 1 मिनरल तेल-निमिज्जित (चौथा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 4 मार्च 2021	31 मार्च 2021	30 मार्च 2022
2	आई एस 14871 : 2000 फाइबर प्रबलित सीमेंट के उत्पाद – छत व क्लैडिंग के लिए लम्बी नालीदार या असमान काट की चादरें – विशिष्टि	संशोधन संख्या 2 मार्च 2021	31 मार्च 2021	30 जून 2021

इन मानकों में संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों में संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड किया जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन III/4/असा./11/2021-22]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2021

Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS(155).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.